कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

भवन मानचित्र समिति–द्वितीय (कॉपरेटिव) की बैठक सं. 28/2001 दिनांक 6 व 8–10–2001 को प्रातः 10.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण–

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लियाः–

1. श्री अतुल शर्मा, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री हेमन्त मुरड़िया, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
3. श्री पी.सी.बरड़िया, निदेशक (अभियांत्रिकी), जविप्रा, जयपुर।
4. श्री पी.आर.शर्मा, निदेशक (वित्त), जविप्रा, जयपुर।
5. श्री ए.एन.भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(कॉपरेटिव) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे–

1. श्री पी.अरविन्द ,वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.), जविप्रा, जयपुर।
2. श्री वी.पी.सिंह, उपायुक्त, जोन बी–3, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक (कॉपरेटिव),, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री हरिप्रसाद, सहायक नगर नियोजक, जोन बी–3, जविप्रा, जयपुर।

1. एजेन्ड़ा आईट्मस –

1.1 एजेण्ड़ा आईट्मस सं. 28/2001–1:– ओम शिव गृ.नि.स. समिति की योजना स्कीम नं. 6 में स्थित सुविधा क्षेत्र के भूखण्ड़ों के नियमन बाबतः–

उपायुक्त, जोन बी–3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्ड़ा एवं मौके की स्थिति पर विचार–विमर्श किया गया। वाद विचार–विमर्श यह तथ्य उभर कर आया कि संबंधित सोसायटी के विरूद्व पुलिस कार्यवाही हुई है। संबंधित भूखण्ड़ों बाबत निम्नांकित निर्णय लिये गये–

1. भूखण्ड़ सं. 10 सन् 1998 में खरीदा गया हैं और सन् 1994 में सुविधा क्षेत्र में अनुमोदित था अतः इस भूखण्ड़ बाबत पुनः जांच की जावें।
2. भूखण्ड़ सं. 11 व 12 का रूपान्तरण शुल्क सन् 1982 में जमा है एवं 15 वर्ष से मौके पर निर्मित हैं तथा कॉलोनी वासियों की सहमति भी है। अतः उक्त दोनों भूखण्ड़ों को सुविधा क्षेत्र से मुक्त कर अनुमोदित किया गया।

1.2 एजेण्ड़ा सं. 28/2001–2 :– खुदाबादी सोनार गृ.नि.स. समिति की योजना मुरलीपुरा–II बाबतः–

उपायुक्त, जोन बी–3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्ड़ा एवं बताई गयी मौके की स्थिति पर विचार–विमर्श किया गया। वाद विचार–विमर्श एजेण्ड़ा में प्रस्तावित भूखण्ड़ सं. 117,119,120 और 121 सभी भूखण्ड़ों को सुविधा क्षेत्र में ही रखने का निर्णय लिया गया और उपायुक्त, बी–3 का प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

1.3– एजेण्ड़ा सं. 28/2001–3 – विजयबाड़ी पथ सं. 7. सैक्टर रोड़ (80′ चौडी) को कम करने के संबंधः–

उपायुक्त, जोन बी–3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्ड़ामय पी टी सर्वे एवं बतायी गयी मौके की स्थिति पर विचार–विमर्श कर इस सेक्टर रोड़ के संबंध में निम्नाकिंत निर्णय लिये गये–

1. प्रश्नगत सैक्टर रोड़ (80′ चौड़ी) को सीकर रोड़ से 60′ ट्राईजंक्शन तक 80′ से 60′ करने का निर्णय लिया। इस सैक्टर रोड़ को 80′ ट्राईजंक्शन से आगे सैक्टर प्लान के अनुसार 80′ ही रखने का निर्णय लिया गया।
2. प्रश्नगत सैक्टर रोड़ (80′ चौड़ी) के समानान्तर 100′ चौड़ी सैक्टर रोड़ जहॉ सीकर रोड़ से मिलती है।वहा पर कुछ दूरी के लिए बंद है। अतः इसे तुरन्त खुलवाया जाये और इस 100 फिट रोड़ का निर्माण कार्य भी तुरन्त चालू कराया जाये।

1.4 एजेण्ड़ा सं. 28/2001–4:– शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृ.नि.स. समिति की योजना वृन्दावन के भूखण्ड सं. 1,2,3,6,74 और 169 बाबत :– उपायुक्त, जोन बी– 3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बतायी गयी मौके की स्थिति पर विचार–विमर्श किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

1. भूखण्ड सं. 1 रोड़ में है अतः अस्वीकृत किया गया।
2. भूखण्ड सं. 2 और 3 का वह भाग अनुमोदित किया गया जो कि 30 फिट चौड़ी रोड़ को छोड़ने के बाद बचता है।
3. भूखण्ड सं 169 अस्वीकृत किया गया।
4. भूखण्ड सं. 6 और 74 बाबत संयुक्त सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये।
5. भूखण्ड सं. 6 एवं 74 के दक्षिण में रेल्वे लाईन के मध्य से 150 फिट की दूरी छोड़ने के पश्चात जो भू पट्टी बचती है उसमें जयपुर विकास प्राधिकरण की दूकानों की योजना बनाकर तुरन्त नीलामी की जाये।

1.5 एजेण्डा सं. 28/2001–5 :– संयुक्त गृ.नि.स. समिति की योजना रघुनाथपुरी बाबत :–

उपायुक्त, जोन बी–3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बतायी गयी मौके की स्थिति पर विचार–विमर्श किया गया। बाद विचार–विमर्श निर्णय लिया गया कि भूखण्ड सं. 67 से 74, 103 से 108 एवं 136 से 138 कुल 17 भूखण्ड जो कि मौके पर नहीं है को इस योजना से विलोपित किया जाए और उनके स्थान पर शंकर भवन गृ.नि.स. समिति की योजना रघुनाथपुरी (एजेण्डा नं.– 6 में वर्णित) के अनुमोदित भूखण्ड़ों का नियमन किया जाए।

1.6 एजेण्डा सं. 28/2001–6 :– शंकर भवन गृ.नि.स. समिति की योजना रघुनाथपुरी बाबत :–

उपायुक्त, जोन बी–3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बतायी गयी मौके की स्थिति पर विचार–विमर्श किया गया। बाद विचार–विमर्श रोड़ नेटवर्क को यथावत रखते हुए निम्नांकित निर्णय लिए गए :–

1. भूखण्ड सं. 7 को मौके की स्थिति के अनुसार विलोपित किया गया एवं भूखण्ड सं. 1 से6 की चौड़ाई मौके की स्थिति के अनुसार एवं तदानुसार एजेण्डा में वर्णित अनुसार अनुमोदित की गयी।
2. भूखण्ड सं. 24 को विलोपित किया गया एवं भूखण्ड सं. 17 से 23 की चौड़ाई मौके की स्थिति जो कि एजेण्डा में वर्णित है के अनुसार अनुमोदित की गयी।

1.7 एजेण्डा सं. 28/2001–7 :– छत्रपति शिवाजी गृ.नि.स. समिति की योजना रामनाथपुरी बाबत :–

उपायुक्त, जोन बी–3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बतायी गयी मौके की स्थिति पर विचार–विमर्श किया गया। बाद विचार–विमर्श यह तथ्य उभर कर आया कि भूखण्ड सं. 60 से 73 व 81 खसरा बाउण्ड्री से बाहर होने के कारण पूर्व में अनुमोदित नहीं किये गए थे। योजना का कैम्प लग चुका है।अतः बाद विचार–विमर्श निम्नांकित निर्णय लिए गए–

1. मौके की स्थिति को देखते हुए भूखण्ड सं. 60 से 73 एवं 81 का योजना की नियमन दर से नियमन कर दिया जावे। तथा उससे पहिले बढे हुए क्षेत्र की 90बी की कार्यवाही कर ली जावे। सदस्यों से यह शपथ–पत्र लिया जावें कि भविष्य में यदि इस भूमि के संबंध में कोई विवाद होता है तो वे इसके उत्तरदायी होंगे और यदि कोई राशि मांगी जाती है तो वे भुगतान करेंगे।

1.8 एजेण्डा सं. 28/2001–8 :– खुदाबादी सोनार गृ.नि.स. समिति की योजना डी. के. नगर बाबत :–

उपायुक्त, जोन बी–3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बतायी गयी मौके की स्थिति पर विचार–विमर्श किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

1. यह योजना 1985 में स्वीकृत की गई थी तथा भूखण्ड सं. 4 और 23 निर्मित है तथा यह बताया गया कि इनमें आवेदक योजना स्वीकृत होने से पूर्व से ही निवास कर रहे है। तथा रूपान्तरण शुल्क भी 1982 में जमा है। अतः भूखण्ड सं. 4 और 23 के सामने 30' चौड़ी रोड़ रखते हुए नियमन किया जाए एवं शेष भूखण्ड सं. 5 और 24 का पुनः सर्वे करवा कर पूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए जाए।
2. भूखण्ड सं. 1 और खातीपुरा रोड़ 100' के बीच के भाग में मौजूद 6 दुकानों का अनुमोदन किया गया क्योंकि इस क्षेत्र का मास्टर विकास योजना 2011 में भू उपयोग व्यावसायिक हैं।

1.9 एजेण्ड़ा सं. 28/2001–9 A :– म्युचुअल हा.को.सो. की योजना स्कीम नं. 10 बी बाबत :–

उपायुक्त, जोन बी–3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्ड़ा एवं बतायी गयी मौके की स्थिति पर विचार–विमर्श किया गया। बाद विचार–विमर्श योजना के ब्लाक"ए" को निम्नानुसार संशोधित करते हुए स्वीकृत किया गया।

1. पूर्व में अनुमोदित मानचित्र को देखते हुए तय किया कि भूखण्ड़ सं. 8,9,10,16,16ए,16बी,21,23 और 22 का आंशिक भाग में सुविधा क्षेत्र रखा जाए।
2. भूखण्ड़ सं. 6 और 22 के बीच में पूर्व अनुमोदन के अनुसार रोड़ रखी जाए।
3. दुकान सं. 1 से 10 के क्षेत्र को सड़क के आर.औ.डब्ल्यू. में आ रही भूमि को छोड़कर बचे हुए शेष भाग को कन्वीनियेंट शोपिंग के रूप में अनुमोदित किया गया।
4. भूखण्ड़ सं. 1 और 18 के सामने स्थित रोड़ को 25 ' रखा जाए।
5. भूखण्ड़ सं. 20 और 5 के सामने स्थित रोड़ को 30' रखा जाए।
6. खातीपुरा रोड़ 100' ही रखी जाए।
7. कुल 16 आवासीय भूखण्ड़ अनुमोदित किये गये।

1.10 एजेण्ड़ा सं. 28/2001–9 बी :– गुलाबबाड़ी गृ.नि.स. समिति की योजना झोटवाड़ा बाबतः–

उपायुक्त जोन बी–3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्ड़ा एवं बतायी गयी मौके की स्थिति पर विचार विर्मश किया गया। बाद विचार–विमर्श खातीपुरा रोड़ को 100' रखते हुए और प्रश्नगत भूखण्ड़ो के सामने रोड़ को 30' रखते हुए निम्नांकित निर्णय लिए गए–

1. मौके की स्थिति के अनुसार भूखण्ड़ सं. 1 से 5 और दुकान सं.8 से 11 अनुमोदित की जाए।
2. दुकान सं. 1 से 7 का क्षेत्र अनुमोदित नहीं किया गया।

1.11 एजेण्ड़ा सं. 28/2001–10 :– म्युचुअल गृ.नि.स. समिति की योजना तारानगर–बी में संशोधन बाबत :–

उपायुक्त, जोन बी–3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्ड़ा एवं बतायी गयी मौके की स्थिति पर विचार–विर्मश किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नांकित निर्णय लिए गए–

1. मौके की स्थिति को देखते हुए समिति द्वारा संशोधित मानचित्र के अनुसार भूखण्ड़ सं. 9,10,11 और 11 ए जो कि पूर्व में क्रमशः भूखण्ड़ सं. 1,2,10 और 11 के रूप में अंकित थे को अनुमोदित किया गया।

2. भूखण्ड सं. 1 से 8 के ब्लाक को (पूर्व अनुमोदित मानचित्र के आधार पर) सुविधा क्षेत्र ही रखा जाए।
3. भूखण्ड सं. 40 और 41 को अनुमोदित किया गया एवं इन भूखण्डों के उत्तर में स्थित 40′ रोड़ को मौके के अनुसार सीधी किया गया।
4. योजना के पूर्व में स्थित 40′ सड़क को पूर्व अनुमोदन के अनुसार यथावत रखा गया।

1.12 एजेण्ड़ा सं. 28/2001–11 – म्युचुअल गृ.नि.स. समिति की योजना तारानगर–बी बाबत :–

उपायुक्त, जोन बी–3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्ड़ा एवं बतायी गयी मौके की स्थिति पर विचार–विर्मश किया गया। बाद विचार–विर्मश निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड़ों का संयुक्त सर्वे किया जाए।

1.13 एजेण्ड़ा सं. 28/2001–12 :– गुलाबबाड़ी गृ.नि.स. समिति की योजना अवधपुरी बाबतः–

उपायुक्त, जोन बी–3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्ड़ा एवं बतायी गयी मौके की स्थिति पर विचार–विर्मश किया गया। बाद विचार–विर्मश यह तथ्य उभर कर आया कि प्रश्नगत 60′ चौड़ी सैक्टर रोड को जब सन् 1984 में अनुमोदित किया गया था। तब इस रोड़ के दोनों तरफ 60 फिट गहराई के भूखण्ड थे। परन्तु बाद में सन 2000 में योजना का पुनः अनुमोदन किया गया और उसके आधार पर इस रोड़ के पूर्व में स्थित भूखण्ड़ों की गहराई करीब 60′ रह गई है तथा पश्चिम में स्थित भूखण्ड़ों की गहराई करीब 40′ रह गई है। अतः पूर्व की ओर के भूखण्ड़ों की गहराई और बढ़ाना तथा पश्चिम की तरफ के भूखण्ड़ों की गहराई को और कम करना उचित नहीं रहेगा। अतः प्रश्नगत रोड़ को पूर्व में अनुमोदित मानचित्र के अनुसार ही रखे जाने का निर्णय लिया गया।

1.14 एजेण्ड़ा सं. 28/2001–13 :– संयुक्त गृ.नि.स. समिति की योजना श्री राम नगर बी के भूखण्ड़ सं. 113 और 128 के संबंध में :–

उपायुक्त, जोन बी–3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्ड़ा एवं बतायी गयी मौके की स्थिति पर विचार–विर्मश किया गया। प्रार्थीयों को भी सुना गया। वाद विचार–विमर्श यह तथ्य उभर कर आया कि प्रश्नगत रोड़ के पास दूसरी सड़क भी है। और इसकी कोई खास उपयोगिता नहीं है। एवं मोहल्ले वालों व पड़ौसियों की सहमति है।अतः भूखण्ड़ सं. 113 और 128 को नियमित किया जाए। ये दोनों भूखण्ड़ पूर्व से निर्मित हैं।

1.15 एजेण्ड़ा सं. 28/2001–14 :– दी अम्बेडकर गृ.नि.स. समिति की योजना स्कीम नं. 5 (प्रवासी नगर) बाबतं :–

उपायुक्त, जोन बी–3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्ड़ा एवं बतायी गयी मौके की स्थिति पर विचार–विर्मश किया गया। वाद विचार–विमर्श निम्नांकित तथ्य उभर कर आये–

1. सीकर रोड़ की चौड़ाई चौमू पुलिया से मुरलीपुरा योजना तक 160' है। मास्टर प्लान के अनुसार मुरलीपुरा योजना से यह सड़क 200' हो जाती है।
2. वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.) का कहना हैं कि प्रश्नगत लिंक बहुत महत्तपूर्ण है क्योंकि यह विश्वकर्मा और झोटवाड़ा औधोगिक क्षेत्र को जोड़ता हैं।
3. वर्तमान में निर्मित पक्की रोड़ आर.ओ. डब्ल्यू. के मध्य में निर्मित नहीं हैं। अतः जयपुर विकास प्राधिकरण की मुरलीपुरा योजना निर्मित सड़क के मध्य से 65' दूर रहेगी और इसकी शेष चौड़ाई दूसरी तरफ आएगी

अतः वाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया कि इस 200' सड़क की पूरी लम्बाई का पुनः सर्वे किया जाए और प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जाए ताकि यह तय किया जा सके कि इस सड़क की चौडाई 200' (65'+135') रखी जाए या उसे 160' (65'+95') करना उचित रहेगा।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति–द्वितीय (कॉपरेटिव)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक : जविप्रा/वननि/कॉपरेटिव/2001/डी–247 दि. 15-10-2001

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त जविप्रा को आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ
2. निजी सचिव, सचिव जविप्रा को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ
3. निदेशक आयोजना, अभियान्त्रिकी, वित्त, विधि जविप्रा जयपुर
4. वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.)
5. उपायुक्त / स.न.नि. जोन बी–3

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति–द्वितीय (कॉपरेटिव)